

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 172 / 2016

तारीख रजु 19.10.2016

उनवान

अमरसिंह पुत्र बाबू जाति जाट निवासी क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली।
—वादीगण(01)

बनाम

सियाराम पुत्र नत्थीलाल जाति जांगिड ब्रहामण निवासी वमनपुरा झण्डूपुरा तहसील हिण्डौन
जिला करौली।
—प्रतिवादी(1)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री रमेश चंद गुप्ता एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री संतोष कुमार मुदगल एडवोकेट


निर्णय

दिनांक 20.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा स्थित ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन के खसरा न. 713/1/2, 1402 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावे में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 172/2016 अमरसिंह बनाम-सियाराम अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

